पत्रांक–6456/आयु0कर,उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2016–17/दे0दून

कार्यालयः– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 20 मार्च, 2017

प्रार्थना पत्र संख्या	–	07/2016–17
द्वारा	–	श्री रजनीश आर सिंगला, बी–11, लेन नं0–3, मॉडल कॉलोनी, रूद्रपुर। टिन नं0– अपंजीकृत
उपस्थिति	–	अनुपस्थित
निर्णय का दिनांक	–	20.03.2017

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री सर्वश्री रजनीश आर सिंगला, बी–11, लेन नं0–3, मॉडल कॉलोनी, रूद्रपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

1– That what is the meaning of Declared goods or What are Declared Goods under Uttarkhand VAT Act, 2005?

2– That What is the correct Rate of tax on the sales of Declared goods in the State of Uttarakhand?

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, रूद्रपुर सम्भाग, रूद्रपुर का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) द्वारा प्रेषित आख्या में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है :–

1– उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–2 के बिन्दु सं0–12 में declared goods को निम्न प्रकार वर्णित किया गया है–

Uttarakhand VAT Act 2005 :-

Section2- "declared goods means goods declared under section 14 to be of central sales tax Act, 1956 to be of special importance in inter state trade or commerce"

(2) central sales tax Act, 1956 में declared goods को निम्न प्रकार वर्णित किया गया है –

CST Act 1956 :-

Section - ii(c) में लिखित है :– "Declared goods" means goods declared under section 14 to be of central sales tax Act, 1956 to be of special importance in inter state trade or commerce.

प्रार्थी द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0/प्र0) द्वारा वर्णित किया गया है कि मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के Schedules-2(B) के क्रमांक–40 के अनुसार declared goods as specified in section 14 of the central sales tax Act 1956. except coarse Grain & Pulses. में कर की दर 5 प्रतिशत है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रेषित नोटिस के अनुपालन में कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रार्थना पत्र में अंकित प्रश्नों एवं उक्त पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, रूद्रपुर सम्भाग, रूद्रपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा पूछे गये प्रश्नों से पूर्व उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57(1) अवलोकनीय है जो निम्न प्रकार हैः–

57 (1)- If any question arises, otherwise than in a proceeding pending before a court or before an Assessing Authority under Section 25, Section 26 or Section 29, whether, for the purpose of this Act-

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or

क्रमशः पेज–2 पर

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or
(c) any transaction is a sale or purchas and, if so, the sale or, as the case may be, the purchase price therefore; or
(d) any particular dealer is required to obtain registration; or
(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof, the person or the dealer concerned may, after depositing the fee specified in Section 74 submit an application to the Commissioner along with such documents as may be prescribed.

धारा–57(1) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार निहित विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत निहित विधिक प्रावधानों की व्याख्या इस धारा के अन्तर्गत नहीं की जा सकती है। अतः आवेदक द्वारा पूछा गया प्रथम प्रश्न That what is the meaning of Declared goods or What are Declared Goods under Uttarkhand VAT Act, 2005? धारा–57 की परिधि में नहीं आता है अतः इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। जहाँ तक द्वितीय प्रश्न That What is the correct Rate of tax on the sales of Declared goods in the State of Uttarakhand? का प्रश्न है, उक्त के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, रूद्रपुर सम्भाग, रूद्रपुर द्वारा प्रेषित आख्या ''मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के Schedules-2(B) के क्रमांक–40 के अनुसार declared goods as specified in section 14 of the central sales tax Act 1956, except coarse Grain & pulses पर कर की दर 5 प्रतिशत है'' सर्वथा उचित है।

उपरोक्तानुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 6456 /दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/कशीपुर/रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशान के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर/हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–2, रूद्रपुर।
8– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।